संख्या 377/VI/2008–51(पर्य)2003

प्रेषक,

डॉ0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
देहरादून।

01354(c)

पर्यटन अनुभाग : देहरादून दिनांक मार्च, 2008

विषय :–वित्तीय वर्ष 2008–2009 में बचनवद्ध मदों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय यात्रा प्रशासन संगठन, राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून एवं अल्मोडा, पर्यटन निदेशालय तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में बचनबद्व मदों की आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 755.88 लाख (रूपये सात करोड़ पचपन लाख अठासी हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क)–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान (अनुदान संख्या–07–से स्थानान्तरित)

(धनराशि हजार रुपये में)

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	130
2	03–महंगाई भत्ता	98
3	06–अन्य भत्ते	20
4	48–महंगाई वेतन	65
	योगः–	**313**

(ख)–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–00–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	40000
2	03–महंगाई भत्ता	3000
3	06–अन्य भत्ते	600
4	48–महंगाई वेतन	2000
	योगः–	**45600**

(ग)–3452–पर्यटन–80–सामान्य–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–05–शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान मुख्यालय

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	2500
2	03–महंगाई भत्ते	1875
3	06–अन्य भत्ते	300
4	48–महंगाई वेतन	1250
	योगः–	**5925**

(घ)–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–03–अधिष्ठान

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनेत्तर
1	01–वेतन	6600
2	03–महंगाई भत्ते	4950
3	06–अन्य भत्ते	900

4	,48–महंगाई वेतन	3300
	योगः–	15750

(च)–3452–पर्यटन–80–सामान्य–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनेत्तर
1	43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान	8000
	योगः–	8000
	महायोगः–	75588

2.यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3.स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2009 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/कार्य का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4.राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन दोनों संस्थानों में छात्रों/कार्मिकों के अनुपात में व्यय किया जायेगा।

5.इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर में उपरि उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्षकों के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या 377/VI/2008–51(पर्य)2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान अल्मोड़ा/देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2.
6. बजट अधिकारी वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।